न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. : 18/176

मोहन लाल आत्मज श्री किशन जाति काछी निवासी ग्राम नटावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय कार्यालय बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री सुनील गौतम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 03.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि न्यायालय सहायक वन संरक्षक, वन मण्डल नैनवा जिला बून्दी ने अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम सथूर वनखण्ड फूलसागर की वन भूमि आराजी खसरा नं. 3283/2095 की रकबा 770 वर्गमीटर वनखण्ड की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए फसल जब्त करने एवं बेदखल करने तथा धारा 91 (II) के अन्तर्गत पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के दोष में लगान का 50 गुना शास्ति के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 30.01.2017 के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलान्ट की अपील अपने आदेश दिनांक 27.12.2017 के द्वारा खारिज कर दी । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र वनाधिकारी वनपाल नाका की

गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं अपने पक्ष में साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । विचारण न्यायालय ने उक्त भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण होना बताया है वह 38 बीघा का एक बडा रकबा है जिसके बाबत् मौके पर कोई सर्वे/सीमाज्ञान नहीं किया गया है । यह भूखण्ड वन विभाग की दीवार से काफी दूर पर स्थित है । उक्त भूमि खसरा नम्बर 2095 ग्राम सथूर की जमाबन्दी में राजकीय सिवायचक की भूमियों में दर्ज है । ऐसी स्थिति में वन भूमि नहीं होने से न्यायालय वन संरक्षक नैनवा को कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है । अपील विषयक भूखण्ड के बाबत् भूमि खसरा संख्या 2095 में से 100 X 100 = 10000 वर्गफिट भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत सथूर द्वारा दिनांक 24.09.1979 राशि 101/– रूपये में श्रीमती गुरूदीप कौर पत्नी हरिकिशन सिंह पंजाबी निवासी बहादुरपुरा तहसील बून्दी ने अपने नाम का जारी होने का प्रकट करते हुए न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश महोदय, हिण्डोली में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 68/15 प्रस्तुत किया हुआ है । जिसमें प्रार्थना पत्र संख्या 49/15 में दिनांक 12.04.2016 को कमीश्नर रिपोर्ट के मौके की यथास्थिति यथावत् बनाये रखने का आदेश हो रहा है जो अभी तक प्रभावशील है अपीलाधीन नोटिस एवं निर्णय न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश हिण्डोली के यथास्थिति के आदेश की अवहेलना की तारीफ में आता है । अपीलान्ट उक्त भूखण्ड पर कई वर्षों से काबिज है तथा ग्राम पंचायत सथूर द्वारा दिनांक 13.10.1994 को अपीलान्ट के पक्ष में आवासीय प्रयोजन का पट्टा जारी कर रखा है । यदि विवादित भूखण्ड वन विभाग के खाते दर्ज करने का कोई आदेश जारी हो गया हो तो अपीलान्ट का कब्जा कई वर्षो पुराना होने से उसे बेदखल नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाये जावें ।

5. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था जो वनपाल की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध होता है । वादग्रस्त आराजी वन विभाग की आरक्षित भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज से पूर्णतया साबित है कि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है और अतिक्रमित भूमि वन विभाग की आरक्षित भूमि है उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।

6. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में मूल खसरा नम्बर 2095 सिवायचक का कुल रकबा 41 बीघा 03 बिस्वा गै0मु0 बरडा ग्राम सथूर था । उक्त भूमि में से 38 बीघा 05 बिस्वा भूमि वन विभाग में दर्ज हुई है किन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं हुई है और न ही मौके पर सर्वे हुआ है । प्रस्तुत प्रकरण में वन विभाग की भूमि की बाउण्ड्री काफी पुरानी बनी हुई है । अपीलान्ट का कब्जा /निर्माण सिवायचक भूमि में काफी पुराना है । ऐसी स्थिति में नियमन का अधिकार निर्णित किये बिना प्रस्तुत प्रकरण में बेदखली का वन विभाग का आदेश न्याय सम्वत नहीं है । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को विचारण न्यायालय सहायक वन संरक्षक, नैनवा को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2017 एवं सहायक वन संरक्षक नैनवा द्वारा पारित निर्णय दिनाक 30.01.2017 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण सहायक वन संरक्षक नैनवा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट का भूखण्ड नियमन का अधिकार निर्णित किये बिना वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करे । पक्षकारान दिनांक 29.06.2018 को न्यायालय सहायक वन संरक्षक, नैनवा में उपस्थित हों ।

8. निर्णय आज दिनांक 03.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा